सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 02, मंगलवार, *शाके 1946*-सितम्बर 24, *2024* *Asvina 02, Tuesday, Saka 1946- September 24, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, सितम्बर 02, 2024

संख्या प. 2(52) वन/2024 :- चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन-भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा उनके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है।और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा अथवा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार के लेखबद्व नहीं किये गये है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में अथवा उन पर सरकारी या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्व किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुचने की आशंका है |

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 की एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट आफिसर/असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेंट आफिसर को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्व करने हेतु नियुक्त करती है, तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साक्ष्य उसी प्रणाली से किया जायेगा जैसाकि उक्त एक्ट की धारा 6,7,8,10,11 (1) 12,13,14,17 तथा 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनु सूची में अंकित किये गये है, राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी

प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उनसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्व करती है।

प्रथम अनुसूची वन भूमि और बंजर भूमि

द्वितीय अनुसूची संरक्षित वृक्ष

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,

विशिष्ट शासन सचिव (वन)।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि एवं बंजर भूमि

क्र .सं.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण			
					ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)	भूमि किस्म
1	सुराज बी पार्ट-1	बदनोर	भीलवाडा	उत्तर -सीमा ग्राम भवानीपुरा	सुराज	384	5.09	गेमु.वन
						409	2.96	गेमु.वन
				पूर्व -खसरा नं. 417 व 418		415	0.65	गेमु.वन
						416	11.17	गेमु.वन
				पश्चिम - खसरा नं. 383				
				दक्षिण -खसरा नं. 448				
				वनखण्ड का योग		किता-4	19.87	

क्र .सं.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण			
					ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)	भूमि किस्म
2	सुराज बी पार्ट-2	बदनोर	भीलवाडा	उत्तर - खसरा नं. 617	सुराज	629/1119	0.44	गेमु.वन
						630	0.91	गेमु.वन
						632/1138	3.86	गेमु.वन
				पूर्व - खसरा नं. 636 व 633		633/1127	0.30	गेमु.वन
						644/1145	0.10	गेमु.वन
						646	0.04	बीड
						648/1134	0.05	गेमु.वन
				पश्चिम - सीमा ग्राम		649	7.30	गेमु.वन

				सेमला का बाडिया		650/1135 654/1136	0.08 0.08	गेमु.वन गेमु.वन
				दक्षिण - खसरा नं. 662/1142				
				वनखण्ड का योग		किता-10	13.16	

क्र .सं.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण			
					ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)	भूमि किस्म
3	सुराज की पार्ट-3	बदनोर	भीलवाडा	उत्तर - खसरा नं. 626 व 1151/626	सुराज	623 624 625 625/1112 626/1125 626/1126 633/1129	0.04 0.04 0.32 0.10 2.15 0.47 0.30	बारानी । बारानी । बारानी । गेमु.वन गेमु.वन गेमु.वन गेमु.वन
				पूर्व - खसरा नं. 622 व 621				
				पश्चिम खसरा नं. 633				
				दक्षिण - खसरा नं. 662/1142				
				वनखण्ड का योग		किता-7	3.42	

क्षेत्रीय वन अधिकारी
आसीन्द

उप वन संरक्षक
भीलवाडा

वनखण्ड सुराज बी पार्ट (I,II,III)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

क्र.सं.	वानस्पतिक नाम	हिन्दी नाम
1	*Acacia Leucophloea*	रोंझ
2	*Acacia nilotica*	देशी बबूल
3	*Prosophis juliflora*	विलायती बबूल
4	*Zizyphus nummularia*	झड़ बेरी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
आसीन्द

उप वन संरक्षक
भीलवाडा

प्रमाण पत्र

वनखण्ड - सुराज बी पार्ट (I,II,III)

रेंज - आसीन्द

वन मंडल - भीलवाडा

1- प्रारूप में दर्शाई गई भूमि की प्रकृति राजस्व जमाबन्दी में बारानी।, गेमु.वन,बीड होकर वन विभाग के नाम से दर्ज है। यह क्षेत्र वर्तमान में वन विभाग के नाम अमल दरामद है।

2- विज्ञप्ति प्रपत्र में उल्लेखित भूमि वन विभाग के अमलदरामद है। प्रस्तावित भूमि पर आंषिक अतिक्रमण आवंटन से पूर्व के है एवं खनन कार्य नही हो रहा है।

3- प्रस्तावित वन क्षेत्रो में समस्त क्षेत्र पूर्व से ही विभाग के अधीन है, यह क्षेत्र वर्तमान में वन विभाग के नाम अमल दरामद है।

4- प्रस्तावित भूमि पर वृक्षो का घनत्व 0.10 से 0.20 तक का है एवं इन क्षेत्रो में मुख्य रोंझ, देषी बबूल, विलायती बबूल, झड बेरी एवं मिश्रित प्रजातियों के पेड एवं झाडिया़ है।

5- प्रस्तावित क्षेत्र की समस्त भूमि वनविभाग के अधीन है तथा समीपवर्ती खातेदारी भूमिया वन सीमाओं से पृथक है एव इससे प्रस्तावित वन क्षेत्रो के संरक्षण में कोई अवरोध नही होगा। विभागाधीन भूमियो का विकास कार्यो मे उपयोग हो रहा है।

6- प्रस्तावित भूमियो का मानचित्र संलग्न है।

7- पूर्व में खसरावार भूमि का मौके पर सुविज्ञ रूप से सीमाज्ञान नही होने कारण अधिसूचना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नही किये जा सके थे किन्तु अब सीमाज्ञान के पश्चात नये प्रस्ताव बनाये जाकर प्रेषित किये जा रहे है।

8- इस वनभूमि का पूर्व में राजपत्र मे प्रकाशन नही हुआ है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
आसीन्द

उप वन संरक्षक
भीलवाडा

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।